न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निग – 150 – PBR – 16

नंदराम पिता सिद्धू जाति भील आयु 40 वर्ष
धन्धा–खेती, निवासी–ग्राम मियापुरा
तह. व जिला धार ...प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

नाथू पिता सोमा जी जाति भील आयु 50 वर्ष
धन्धा खेती, निवासी–ग्राम मियापुरा तह. व जिला धार ....विपक्षी

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अर्न्तगत

माननीय महोदय,

सेवा में, प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, नालछा के राजस्व प्रकरण कमांक 08 / 2013–14 / अ–13 नाथू विरूद्ध नंदराम में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25 / 08 / 2015 से व्यथित व दुखी होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है ।

R.150-PBR/16 EMR

17-8-2016

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.8.2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने के निर्देश आवेदक को दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

अध्यक्ष